



सामाजिक अंकेक्षण एवं शासन की चुनौतियां

विनीत कुमार सिन्हा

राजनीति विज्ञान विभाग, पी जी डी ए वी महाविद्यालय (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय

ABSTRACT

सामाजिक अंकेक्षण एक प्रक्रिया, एक सहभागी तंत्र और ग्राम सभा के माध्यम से एक ऐसा मंच भी उपलब्ध कराता है जहां लाभार्थी न केवल स्वयं के बारे में बल्कि पूरे समाज के हितों से जुड़ी समस्याओं को एक विमर्श का विषय बना सकने में सक्षम होते हैं। इसमें हम उन विषयों पर जोरदार बहस करते हैं, सवाल रखते हैं और तत्काल उसी समय उत्तर की अपेक्षा भी करते हैं। यह उत्तर की अपेक्षा उनसे की जाती है जो प्रत्यक्ष रूप से योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह तंत्र साझेदारों को न केवल भागीदार ही बनाता है बल्कि आम जनों को लोक नीति के प्रति जागरूक एवं शिक्षित भी करता है। यह सरकारी तंत्र तथा समाज की गैर- सरकारी सदस्यों के बीच संवाद भी बहाल करता है। संवाद की शुरुआत वस्तुतः एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से समाधान की नींव रखी जा सकती है। इस आलेख में हमने यह भी दिखाया है कि सामाजिक अंकेक्षण और शासन की चुनौतियों के बीच किस प्रकार का अंतर्संबंध विकसित हुआ है। शासन के स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण के संदर्भ में हमेशा "आँल आज वेल" संभव तो नहीं।
की – वर्ड्स: सामाजिक अंकेक्षण, वित्तीय अंकेक्षण, पारदर्शिता, सहभागिता, मस्टररोल, उत्तरदायित्व, गवर्नेंस, लोकतांत्रिक शासन।



Scholarly Research Journal's is licensed Based on at work www.srjis.com 4.194,2013
SJIF© SRJIS2014

प्रस्तावना:

सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण एक स्वायत्त, लोकतांत्रिक और सहभागिता आधारित एक तंत्र है जिससे किसी संगठन या संस्था के प्रदर्शन का मूल्यांकन संभव हो पाता है। साथ ही, यह उत्तरदायित्व स्थापना में एक महत्वपूर्ण यंत्र है। किसी सार्वजनिक कार्यों की उपयोगिता या जनता के हितों वाली योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रमों के सामाजिक प्रासंगिकता का मूल्यांकन भी करता है। वस्तुतः यह एक प्रक्रिया भी है जिसके द्वारा किसी संगठन या संस्था को इस योग्य बनाया जा सकता है जिससे कि वह अपने सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभों का मूल्यांकन कर सके, उसकी समीक्षा कर सके और उसे प्रासंगिक अर्थ में प्रदर्शित भी कर पाए। दूसरे शब्दों में, सामाजिक अंकेक्षण समाज में लोगों के बहुमत आधारित दृष्टिकोण से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था की एक समझ भी विकसित करता है जिसके लिए उस व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता है और वैधानिकता प्रदान की जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि सामाजिक अंकेक्षण किसी विशेष योजना, नीति अथवा कार्यक्रम से संबंधित सभी लेखों एवं रिकॉर्ड की जांच के साथ उन कार्यों के भौतिक

सत्यापन, गुणवत्ता, विशेष उपलब्धियों एवं लाभान्वितों के जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार का अंकेक्षण है। यह वित्तीय अंकेक्षण से आगे की कड़ी है। वित्तीय अंकेक्षण में धन के सही उपयोग का परीक्षण होता है जबकि सामाजिक अंकेक्षण में धन के सही उपयोग के साथ ही कार्यों की गुणवत्ता एवं निवासियों के जीवन स्तर पर धन के खर्च का सामाजिक प्रभाव भी देखा जाता है। सामाजिक अंकेक्षण समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलने की एक सामूहिक प्रक्रिया है। इसके कारण समाज में होने वाले विकास एवं कल्याणकारी कार्यों में जनभागीदारी बढ़ती है, पारदर्शिता आती है और अंततः भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलती है। सामाजिक अंकेक्षण लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं को सशक्त बनाने का भी एक माध्यम है।

सामाजिक अंकेक्षण की संकल्पना को पहली बार व्यवस्थित रूप से 1972 में चार्ल्स मेडावर ने आगे बढ़ाया, यद्यपि इनका काम दवा नीति को लागू करने, औषधि सुरक्षा, विभिन्न निगमों तथा सरकार एवं व्यवसायिक उत्तरदायित्व की स्थापना से संबंधित था। उनका मानना था कि प्रत्येक लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक अंकेक्षण की संकल्पना के तहत निर्णय लेने वाले नेतृत्व को अपने निर्णय और शक्ति के प्रयोग के प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसका सुखद परिणाम भी हुआ और विभिन्न निगमों ने अपने भागीदारों अर्थात् स्टेकहोल्डर्स एवं समुदायों के लोगों को अपनी निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने लगे। बाद में चलकर निगमों ने यह महसूस भी किया कि स्टेकहोल्डर्स की समझ उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग और उनकी आवश्यकताओं के प्रति अधिक प्रभावी है। अतः उनकी समझ को वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, स्वास्थ्यवर्द्धक और बेहतर निगम संस्कृति को विकसित करने में प्रयोग किया जा सकता है। इससे उनकी उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि भी देखी गई।

वैसे, संपूर्ण विश्व व्यवस्था के लिए 70 का दशक उपभोक्ता, नागरिक समाज, पर्यावरण, अधिकार जैसे विषयों पर गुणवत्तापरक, संस्थात्मक एवं प्रक्रियात्मक बहुत कार्य हुए। सामाजिक अंकेक्षण के विकास में भी 70 का दशक बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में भी सामाजिक अंकेक्षण का प्रयोग 1979 में पहली बार टिस्को कंपनी(टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी), जमशेदपुर द्वारा किया गया। यह भारत की पहली कंपनी थी जिन्होंने सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को आरंभ किया। इसका मतलब केवल इतना है कि टिस्को ने निर्णय की प्रक्रिया में अपने स्टेकहोल्डर्स को शामिल करना शुरू किया। टिस्को इस आवश्यकता को महसूस कर रहा था कि व्यवसायों का सिर्फ लाभ और उसके क्रियात्मक प्रदर्शन से मूल्यांकन किया तो जा सकता है लेकिन इसके अच्छे और सतत प्रदर्शन एवं लाभ की निरंतरता के लिए हमें निगम नागरिकता, व्यवसायिक नैतिकता, सामुदायिक विकास में खुद को शामिल करना और उन गैर- विशेषाधिकार लोगों को आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्रता प्राप्त कर पाने एवं सहयोग करने की नीति पर आगे बढ़ना होगा। टिस्को इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट था कि किसी भी व्यवसाय की ठोस नींव के लिए तथा सामाजिक निर्माण और उसके सतत विकास के लिए हमें अपनी व्यवसायिक उत्तरदायित्व को समझना ही होगा।

लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में विशेष रूप से उन देशों में जहां समेकन की प्रक्रिया निरंतर जारी है, उन्हें न केवल सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि लोकतांत्रिक

शासन के संदर्भ में भी उन्हें गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। प्रतिनिधिक लोकतंत्र के अवसर पर प्रतिनिधियों के चुनाव को अपेक्षाकृत स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो तो रहे हैं लेकिन, एक बार निर्वाचित हो जाने और सत्ता में आ जाने के बाद अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र और स्थानीय लोगों की मांग और आवश्यकताओं को पूरा करने में असंलग्नता या उदासीनता या फिर उत्तरदायित्वहीन ही बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में नागरिकों में निराशा, उदासीनता और सापेक्ष वंचन की भावनाएं विकसित हुई है। ऐसे में लोकतांत्रिक शासन एवं सृजित अवसर की गुणवत्ता एवं प्रभावोत्पादकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है और इसमें भ्रष्टाचारी गतिविधियों को तेजी से बढ़ाया है³।

'आवर डेमोक्रेसी' नामक यूएनडीपी रिपोर्ट में (2004 और 2010) लैटिन अमेरिकी लोकतांत्रिक देशों में शासन और प्रतिनिधित्व के स्तर पर तीन प्रकार की चुनौतियां को प्रमुखता से उठाया गया है। पहला, प्रतिनिधित्व संकट से निपटने के लिए एक नए प्रकार के राजनीतिक भागीदारी मॉडल को विकसित करना होगा, दूसरा, राज्य के लोकतांत्रिक स्वरूप को भी स्थापित करने की जरूरत है और शक्ति की स्वायत्तता तथा उन पर नियंत्रण एवं उनकी उत्तरदायित्व निर्धारित करने की भी आवश्यकता है और तीसरा, राज्य की लोकतांत्रिक संरचना के भीतर एवं नियंत्रण तथा संतुलन आधारित व्यवस्था में वास्तविक राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने, अपने संगठनों को आधुनिक बनाने और कुशल मानवीय संसाधनों की भी जरूरत रहती है।

2011 के अपनी रिपोर्ट 'द स्टेट ऑफ सिटीजनशिप' में यूएनडीपी ने कहा कि राज्य जैसी संकल्पना के तहत नीति निर्माण, निर्णय लेने एवं उसे लागू करने की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बहुत ही जरूरी है⁴। नागरिक अपने नेताओं को चुनते हैं और उनसे उनकी अपेक्षाएं भी रहती है कि वह निर्वाचन क्षेत्र को प्रभावपूर्ण तरीके से प्रतिनिधित्व करें और जन नीतियों को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद करें जिससे सामूहिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसी तरह, निर्वाचन क्षेत्रों की भी अपने चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं एवं लोक सेवकों से यह अपेक्षा रहती है कि वह अपने निर्णय एवं कार्यों के लिए अपने उत्तरदायित्व को निभाएं। लोकतांत्रिक शासन अपने नागरिकों को इस रूप में प्रोत्साहित करता है कि लोक सेवकों को उनके कार्यों के लिए इनाम या सजा दे पाए जिससे कि वह उत्तरदाई बना रहे।

उत्तरदायित्व स्थापना की इस प्रक्रिया में हाल के वर्षों से लोकतांत्रिक शासन में मांग पक्ष पर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हुई। इसका आशय यह है कि नागरिकों की आवाज और उनकी क्षमताओं को मजबूत किए जाने की मांग उठने लगी और लोक सेवकों तथा सेवा प्रदाताओं के लिए अधिक उत्तरदायित्व होने की आवश्यकता पर भी बल दिया जाने लगा। इस तरह के उत्तरदायित्व स्थापना के मॉडल में उन कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया जो राज्य की संस्थाओं से बाहर के थे और शासन व्यवस्था के सभी स्तरों पर- राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण एवं संतुलन के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से दबाव डालने की आवश्यकता पर विचार होने लगा। इस योजना में नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठनों, स्वतंत्र प्रेस, अनुसंधान संगठनों और सामाजिक बुद्धिजीवी जैसे अभिकर्ताओं को शामिल किया गया। इसके लिए नागरिकों को और स्टेकहोल्डर्स को सकारात्मक और अधिक सूचना संपन्न तरीके से सशक्त करने का प्रयास हुआ जिससे

कि उनकी क्षमताओं का विकास हो सके और इन प्रयासों को समाज द्वारा काफी समर्थन भी मिला और सराहा भी गया। हम देखते हैं कि शासन और उत्तरदायित्व के इस मॉडल में सशक्तिकरण, नागरिक सहभागिता और सूचनाओं तक आमजन की पहुंच को सुलभ बनाए जाने जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को जोड़ने का एक सफल प्रयास हो सका। यही सामाजिक अंकेक्षण के विकसित स्वरूप का आधार भी बन पाया।

अब प्रश्न उठता है कि, क्या सामाजिक अंकेक्षण अपने उद्देश्यों में सफल हो सके हैं, शासन और उत्तरदायित्व के इस मॉडल में सहभागिता को बढ़ा सका है, भ्रष्टाचार को कम कर सका है और पारदर्शिता में गुणवत्ता पूर्ण तरीके से वृद्धि कर सका है? करुणा वकाती अकेला और सौम्या किदांबी अपने आलेख "सोशल ऑडिट इन आंध्र प्रदेश: अ प्रोसेस इन इवोल्यूशन"⁵ में तर्क देती हैं कि वैसे तो आंध्र प्रदेश में सामाजिक अंकेक्षण अपने विकास की प्रक्रिया में है तब भी, सामाजिक अंकेक्षण के प्रयोगों का प्रभाव सकारात्मक दिखा है। उन्होंने बताया की फिल्ड सहायक, तकनीकी सहायक, सहायक इंजीनियर्स, शाखा पोस्ट मास्टर, सरपंच और यहां तक की स्थानीय विधायक गलत मास्टर रोल्स, बिल्स को बढ़ा चढ़ाकर बताना एवं जिस कार्य को किया ही नहीं गया था उन कार्यों से संबंधित धन की निकासी को गलत तरीके से दिखाने जैसी गलत कार्यों में शामिल रहे हैं। सामाजिक अंकेक्षण होने पर न केवल इन्हें गबन किए हुए धन को वापस करना पड़ा बल्कि उन्होंने भरी जनसभा में यह भी स्वीकार किया कि मैंने गलती की है और दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इन लेखकों ने यह भी बताया कि सामाजिक अंकेक्षण के परिणाम स्वरूप शासन और प्रशासन के स्तर पर आम आदमी के लिए 'प्रशासन के लौह दरवाजे' में प्रवेश को सुगम बनाया है। अपने आलेख "सोशल ऑडिट ऑफ मिड डे मील स्कीम इन आंध्र प्रदेश"⁶ में दीपा सिन्हा कहती हैं कि आंध्र प्रदेश में मिड डे मील स्कीम में सामाजिक अंकेक्षण करने के बहुत ही सकारात्मक परिणाम आए। स्कूल के उपस्थिति रजिस्टर में 'ओवर- रिपोर्टिंग' का मामला पकड़ में आया, खाना पकाने की सामग्री में हेरफेर पकड़ में आया, प्रधानाध्यापक एवं डीलरों के बीच में डील उजागर हुए, खाद्यान्न-पदार्थों के भंडारण की व्यवस्था अनुपस्थित मिली, स्कूल में खाना पकाने की जगह पर शोड नहीं लगे थे, केवल 52% स्कूलों में पानी पीने की व्यवस्था थी। इसी तरह, कुरनूल जिला के कुछ स्कूलों में खाना पकाने, उसके वितरण एवं साथ खाने को लेकर जातिगत भेदभाव भी देखने को मिला है।

2007 के अपने आलेख "चैलेंजिंग करप्शन विद सोशल ऑडिट्स"⁷ में अरुणा अकेला और सौम्या किदांबी ने यह दिखाया कि सामाजिक अंकेक्षण ने भ्रष्टाचारी गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम किया है। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो पाया कि जो आधिकारिक मजदूरी दर प्रतिदिन एक सौ रुपये तय किए गए थे उसमें से मजदूरों को केवल ₹75 ही दिया जा रहा था, इसी तरह ₹250 की जगह ₹200 दिया जा रहा था। इस तरह लेखकों का मानना है कि आंध्र प्रदेश में सामाजिक अंकेक्षण ने भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति पर भी रोक लगाने का काम किया है।

दूसरी ओर, सामाजिक अंकेक्षण का एक अन्य पहलू भी है। के एस गोपाल ने अपने आलेख नरेगा "सोशल ऑडिट मिथ ओर रियलिटी"⁸ को दिखाया है कि सामाजिक अंकेक्षण के बारे में जितना अधिक प्रचार-प्रसार और इसकी प्रभावोत्पादकता के बारे में लिखा गया है, व्यावहारिक धरातल पर उसकी तुलना में उपलब्धि कम दिखती

है। उदाहरणस्वरूप, 2009 के एक आंकड़े को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के कल्याणदुर्ग पंचायत में जनसुनवाई में 388200 रुपए गबन होने की सूचना प्राप्त हुई परंतु सामाजिक अंकेक्षण के बाद भी रकम की वापसी शून्य हो पाई। इसी तरह नल्लाचेरम में 112700 रूपये के गबन में वापसी शून्य ही रहा। यह ऐसे उदाहरण है जिसके आधार पर सामाजिक अंकेक्षण के समक्ष सुशासन के संदर्भ में चुनौती जान पड़ती है।

सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित मेरे अपने शोध के आधार पर भी मैं सामाजिक अंकेक्षण के समक्ष उत्पन्न हुए कुछ चुनौतियों को रखना चाहता हूँ। बात 2013 की है, अपने शोध के लिए राजस्थान के जिला झालावाड़ के झालरापाटन पंचायत समिति के अंतर्गत पाटन प्रखंड कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलने के क्रम में वहां बैठे ग्राम सेवक का मानना था कि, मनरेगा में होने वाले सामाजिक अंकेक्षण एक प्रकार की साजिश है। सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से मनरेगा को बदनाम करने की साजिश चल रही है। सामाजिक अंकेक्षण केवल खानापूर्ति है। यह पैसा खाने का एक जरिया रह गया है। सरपंच सभी को पैसा खिला देते हैं और अंकेक्षण का परिणाम उनके अनुसार तथा उनके पक्ष में आ जाता है। झालावाड़ जिला के सामाजिक अंकेक्षण समन्वयक श्री सुरजीत ने तो यहां तक कह दिया कि सामाजिक अंकेक्षण गलत कार्यों को एक रणनीति के तहत सही और प्रभावी रूप से सही सिद्ध करने का जरिया बन गया है। सरपंच फिर खुलेआम कहने लगते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण भी तो करवा कर देख लिया, क्या मिला। सुरजीत आगे कहते हैं कि इस जिला में अभी तक एक भी रुपया सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा गबन हुए रुपए की वापसी नहीं की जा सकी है। सामाजिक अंकेक्षण समन्वयक ने जिस तरह से सामाजिक अंकेक्षण के बारे में हम से बात कर रहे थे उसी तरह का परिणाम भी मेरे द्वारा सरकारी दस्तावेज के विश्लेषण के परिणाम स्वरूप निकल कर सामने आए। किसी भी रिपोर्ट में गबन नहीं हुई है और वापसी की तो बात ही फिर क्या। सारे रिपोर्ट का प्रारूप एक जैसा है और उद्घोषणा भी एक ही है "ऑल इज वेल"। इनका मानना है कि ग्राम सेवक, पंचायत सचिव, जीटीए यदि अच्छे से रूचि ले तो सामाजिक अंकेक्षण कराना आसान हो सकता है लेकिन, उन्होंने यह भी कहा कि न तो इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था है और न ही इन लोगों की सामाजिक अंकेक्षण कराने में कोई रुचि है। उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि वीडियो साहब सहित सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पास काम का बहुत अधिक बोझ है। कर्मचारी कम है और काम बढ़ता जा रहा है, जैसे अभी देखिए शासन का आदेश आ गया कि भामाशाह योजना के तहत वीडियो साहब को शिविर लगानी है। ऐसी स्थिति में उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम कुछ समय के लिए स्थगित सा हो जाता है, ऐसे भी इन्हें बहुत सी योजनाओं को लागू करवाना पड़ता है। बहुत जगह पर रिक्त पदों को भरा नहीं जा रहा है, कितना भी यहां से पत्राचार होता है, वे लोग अपनी ही गति से कार्य करते हैं। क्या करेंगे उन्हें सस्पेंड कर देंगे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टे हमें ही फर्क पड़ने लगता है। वैसे भी एक ग्राम सेवक के पास दो दो या तीन तीन ग्राम पंचायत है, सस्पेंड करोगे तो काम कौन करेगा, सवाल यह भी बहुत बड़ा है। ग्राम सभा की बैठक में ग्रामीणों के नहीं आने के प्रश्न पर समन्वयक का कहना था कि ग्रामीणों को यह लगता है कि ग्राम सभा की बैठक से और सामाजिक अंकेक्षण से हमारा कोई भला नहीं होने वाला। दूसरी ओर, यदि वीडियो साहब

बोल दे कि हमने प्रचार करवा दिया और लोग नहीं आए तो हम लोग क्या कर पाएंगे। इसकी सत्यता की जांच के लिए हमारे पास न तो संसाधन है और न ही स्टाफ। अब यदि ग्राम सेवक, सचिव, जेटीए और वीडियो साहब मिल जाए तो गबन की बात कैसे हो पाएगी। ग्राम सेवक, जेटीए को ग्राम पंचायत घूमना पड़ता है, अपनी गाड़ी से और अपना पेट्रोल जला कर काम तो नहीं कर पाएगा, व्यवहारिकता समझने की जरूरत है, उनके इस आवश्यक खर्च के लिए शासन प्रशासन के पास संसाधन या फंड नहीं है और वेतन इनका दस हजार से बारह हजार रुपए मात्र है। इस कारण भी वे लोग भ्रष्टाचार के दलदल में फंस जाते हैं और अपने को इस दलदल में फंस जाने के बाद उनकी कोशिश यही रहती है कि अधिकांश लोगों को इस चोरी में शामिल कर लिया जाए ताकि शिकायत की गुंजाइश खत्म हो जाए। उन्होंने प्रश्न किया अभी तक आपने गबन होने की बात और उसकी वापसी की बात सुनी है, नहीं सुने होंगे और न ही नहीं सुनेंगे, ऐसा होता नहीं है। शासन भी उदासीन हो जाता है क्योंकि सामाजिक अंकेक्षण कराने में अधिक खर्च हो जाता है और दो पैसे की वापसी हो नहीं पाती।

ग्राम सेवक धीरेंद्र राठौर कह रहे थे कि "नरेगा मतलब भरेगा" जो काम किया है उसे तो फंसना ही है और यह भी संभव है कि उनके खिलाफ एफ आई आर हो जाए। हम लोगों का आत्मविश्वास का स्तर इतना नीचे हो चुका है कि अब काम नहीं हो पा रहा। कौन काम करेगा जो करेगा वही फंसेगा, इसलिए भी सारे रिपोर्ट्स सही-सही बनाए जाते हैं। उनका मानना था कि सामाजिक अंकेक्षण राजस्व विभाग या पुलिस विभाग में क्यों नहीं होता। वहां भी करके देख लें, वहां तो पाइप ही जाम मिलेगा, नरेगा में तो कुछ काम भी हो रहे हैं अर्थात् पाइप के चैनल कुछ खुला भी है लेकिन वहां जाम ही मिलेगा।

झालावाड़ जिला के खानपुर पंचायत समिति के जीटीके लियाकत हुसैन ने एक अलग प्रकार की चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण पर सरकार का खर्च बर्बाद हो रहा है क्योंकि अंकेक्षकों को अंकेक्षण की मौलिक बातें ही पता नहीं। गांव के पढ़े-लिखे नव युवकों को जो बी. ए. पास या 12वीं पास होता है, उन्हें 3 दिन या 5 दिन का प्रशिक्षण देकर गबन पकड़ने वाला विशेषज्ञ नहीं बना सकते। यहां तक की, प्रशिक्षण देने वाला कितना योग्य है इस पर भी सवाल खड़ा किया जा सकता है।

जहाँ तक गबन हुए धन के वापसी का सवाल है और ग्राम सभा की बैठक एवं सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया की प्रभावपूर्ण समीक्षा का सवाल है तो सरकारी दस्तावेज के विश्लेषण से हमें भी केवल खानापूरि ही मिला। ग्राम सभा की बैठक हुई, लोगों के हस्ताक्षर हैं, सामाजिक अंकेक्षण हुए और सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हुआ। पंचायत समिति खानपुर के ग्राम पंचायत डोबड़ा से मिले दस्तावेजों की समीक्षा के परिणाम बहुत चौंकाने वाले मिले। इस दस्तावेज पर ग्राम सभा प्रभारी श्री बाबूलाल वर्मा जी के हस्ताक्षर हैं और तिथि 9-9-2010 लिखा हुआ है। ग्राम सभा के कुछ सदस्यों के भी हस्ताक्षर यहां किए हुए हैं। कॉलम 1 से लेकर कॉलम 13 तक प्रत्येक कॉलम में NIL लिखा मिलता है। एक प्रपत्र में जिसके ऊपर सामाजिक अंकेक्षण लिखा है और उस पंचायत समिति के पंचायत के कई गांव का नाम लिखा है, विशेष और कोई जानकारी इस पर अंकित नहीं है, परंतु इस प्रपत्र के भीतर 8 मुद्दे से संबंधित कई सवाल जिसे 9 मुख्य विषयों के अंतर्गत 54 सवाल पूछे गए हैं और उन्हें 8 मुख्य मुद्दे के साथ संबंधित करके प्रश्न रखे गए हैं। इस प्रपत्र के सबसे ऊपरी पेज पर गांव का नाम के तहत

डोबड़ा, भोजखेड़ी, पदमियां, लिठा, गुढा, स्पाहैडा का वर्णन है। उपर्युक्त प्रश्नों से संबंधित विषय एक के तहत a b c में NIL, वह भी कॉलम चार तक ही भरा गया है शेष 8 तक " -" का प्रयोग हुआ है। विषय दो के तहत a b c में NIL एवं d f में शून्य भरा हुआ है वह भी केवल कॉलम 3 तक, शेष कॉलम में" - "भरा हुआ है। आगे बढ़ते जाने के साथ ही औपचारिकताएं एवं खानापूर्ति स्पष्टता के साथ दिखती है। आगे के कई प्रश्नों के लिए कॉलम 3 से ही "-" का प्रयोग किया गया है।

इसी तरह झालरापाटन पंचायत समिति के तहत अगर गुराडियामाना पंचायत के सामाजिक अंकेक्षण दस्तावेजों का यदि तथ्यात्मक विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होता है कि सामाजिक अंकेक्षण के तहत मिले आंकड़ों में पंचायत भवन में नल फिटिंग कराने के लिए स्वीकृत राशि ₹ एक लाख में से ₹ साठ हजार खर्च हुए हैं जबकि शेष बचे ₹ चालीस हजार का कोई हिसाब नहीं दर्शाया गया है। इसी तरह से, तलाई गहरी एवं पिचिंग कार्य के लिए स्वीकृत राशि ₹ दो लाख है, जबकि कुल व्यय सैंतीस हजार नौ हो सत्तर रुपए दिखाया गया है, शेष राशि का यहां भी कोई हिसाब नहीं मिलता। एक सवाल उठता है कि 162030 रुपये कहां गए? इस दस्तावेज में वसूली योग्य राशि का एक कॉलम भी है जिसमें या तो NIL या फिर "-" दिखाया गया है। इसी तरह, बकानी पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरी की बात करें तो यहां भी परिणाम चौकानेवाले दिखते हैं। मेरे सैंपल में से केवल एक व्यक्ति ने माना कि सामाजिक अंकेक्षण के बारे में सुना है पर मेरी जानकारी में कभी हुआ नहीं है। शेष सभी ग्रामीणों के पास न तो ग्राम सभा की समझ थी और न ही सामाजिक अंकेक्षण का ही नाम सुना था। इसका सीधा सा तात्पर्य यह था कि न तो ग्रामसभा कभी बैठती है और न ही सामाजिक अंकेक्षण ही होता है। सरकारी दस्तावेज का यदि विश्लेषण करें तो 9-9-2010 को हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरपंच महोदय ने किया। यह बैठक लगभग 7.30 घंटे तक चली, 228 सदस्य उपस्थित रहे, दस्तावेज के अनुसार बैठक के लिए कोरम संख्या पूरा हो गया और उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर भी दिख रहे हैं। इस पूरे दस्तावेज में कुल 15 विषय शामिल हैं¹⁰। स्वीकृत राशि और व्यय की गयी राशि में कोई अंतर नहीं है¹¹ अर्थात किसी भी प्रकार के गबन की कोई संभावना नहीं है। कार्यों की भौतिक सत्यापन सही पाए गए, सामग्री की मात्रा एवं गुणवत्ता में कोई कमी नहीं पाई गई, रोकड़ बही में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। अतः वसूली की गई राशि की मात्रा NIL दिखाया गया है। दस्तावेज के अनुसार सभी 15 कार्य पूर्ण हो गए, हालांकि ग्रामीणों ने इस बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बताया जिससे कि दस्तावेज की रिपोर्टिंग सही लगे। रिपोर्ट में अगले ही प्रश्न के उत्तर में दो कार्यों की जारी रहने की बात स्वीकार करता दिख रहा है¹²। यहां दस्तावेज में वर्णित विवरणों में अंतर्विरोध साफ दिखता है। रोजगार के लिए आवेदन में कोई अनियमितता नहीं है, मस्टररोल में, मजदूरी भुगतान में रोजगार के आवंटन में, कोई अनियमितता नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 92% परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया गया है। इन सब का सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक 6 माह में ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ग्रामसभा की कार्यशैली पर ग्रामीणों ने संतोष व्यक्त किया है और यही कारण है कि इसको लेकर अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुआ है। इस दस्तावेज में कुल 171 लोगों के नाम हैं लेकिन सभी नाम के सामने हस्ताक्षर नहीं है, कई नाम के आगे एक ही हस्ताक्षर है। दस्तावेजों में सब कुछ सही-सही दिखाने का हर संभव प्रयास दिखाएं गये है।

निष्कर्ष:

इस तरह, हम यहाँ देखते हैं कि दस्तावेज में और लोगों से बातचीत करने के बीच में बहुत गहरी खाई है। सरकारी दस्तावेज में सभी सूचनाएं, प्रक्रिया और सामाजिक अंकेक्षण एक व्यवस्थित रूप में दिखाया गया है जबकि ग्रामीणों से बातचीत में यह सामने आया कि सामाजिक अंकेक्षण होते हुए अधिकांश लोगों ने न तो देखा है और न ही उस बारे कोई समझ बन पाई है। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान न केवल शासन के समक्ष आने वाली बल्कि शासन की चुनौतियां हमारे समक्ष एक गंभीर चिंता उत्पन्न करता है। सामाजिक अंकेक्षण अपने आप में पवित्र तो है और यदि सही से शासन- प्रशासन का सहयोग मिलें तो यह अत्यधिक प्रभावी भी सिद्ध हो सकता है।

संदर्भ:

1. सोशल ऑडिट: अ टूल किट, अ गाइड फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एंड आउटकम मेजरमेंट, सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (2005), हैदराबाद, प्रिंटेड एंड पब्लिशड बाय द डायरेक्टर जनरल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस पृ.3
2. www.tisco.co.th/en/about-us/social.html.
3. बर्थिन, गिराल्डो (2011), यूएनडीपी अ प्रैक्टिकल गाइड टू सोशल ऑडिट एज अ पार्टिसिपेटरी, टूल टू स्ट्रैथेन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, अॉन-
www.pogar.org/publications/ac/books/practical-guide-socialaudit-e-pdf, पृ.19
4. वही, पृ.13
5. अकेला, करुणा वकाती एंड किदांबी, सौम्या (2007) 'सोशल ऑडिट्स इन आंध्रप्रदेश: अ प्रोसेस इन इवोल्यूशन' इन नवंबर 24, 2007, इकोनामिक एंड पॉलीटिकल वीकली पृ. 18-19.
6. सिन्हा, दीपा (2008) 'सोशल ऑडिट ऑफ़ मिड डे मील स्कीम इन आंध्रप्रदेश' इन नवंबर 1, 2008, इकोनामिक एंड पॉलीटिकल वीकली पृ. 57-61.
7. अकेला, अरुणा वकाती एंड किदांबी, सौम्या (2007) 'चैलेंजिंग करप्शन विद सोशल ऑडिट्स' इन इकोनामिक एंड पॉलीटिकल वीकली फरवरी 3, 2007, पृ. 345-47.
8. गोपाल, के एस (2009) 'नरेगा सोशल ऑडिट: मिथ्स एंड रियलिटी' इन इकोनामिक एंड पॉलीटिकल वीकली, जनवरी 17, 2009, पृ.70-74.
9. स्रोत - हस्तलिखित सरकारी दस्तावेज की फोटो कॉपी, वस्तुतः यहां रजिस्टर में लिखा गया है। इस रजिस्टर के पृष्ठ के ऊपर दायी ओर पृष्ठ संख्या 6, जो हाथ से लिखा हुआ है, अंकित है।
10. वही, पृ.6
11. वही, पृ.8
12. वही, पृ.10